न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री निकया गोहाएन, आईए0एस0

मि0न0 01/अपील(आर.टी.आई.)20

गौतमराज आ0 ज्ञानचन्द जैन निवासी बकानी जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

02. लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड
03 उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

-:: निर्णय ::-

दिनांकः 20.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने लोक सूचना अधिकारी झालावाड़ को दिनांक 20.07.2020 को आवेदन पत्र भिजवाया जाकर निम्न सूचना चाही गई थी:-
उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ से सम्बन्धित

01. आपके कार्यालय से जारी किया गया भू रुपान्तरण आदेश 11.02.2002 कमांक 146-48 एवं आपके कार्यालय से जारी किया गया भू रूपान्तरण आदेश दिनांक 27.02.2002 कमांक 146-48 श्री दिनेश कुमार गोपीचन्द जैन झालावाड़ कोनसा सही है और कोन सा कु रचित है।
02. दिनांक 12.12.2019 को सतर्कता समिति में दिनांक 10.12.2019 की सतर्कता समिति में गेातमराज/बनाम श्री बालचन्द राठोर की जांच रिपोर्ट काश्तकार बन तहसीलदार सा तहसील झालरापाटन को गुमराह कर खसरा न0 79 अपना बताकर दिनांक 17.05.2011 को प्रा0पत्र दिया, इसकी जांच रिपोर्ट की छाया प्रतिलिपी सतर्कता समिति में पेश की दिनांक 14.12.2009में-
03. उनवान मुकदमा गौतमराज बनाम श्री भैरूलाल एवं अन्य में जिल्द न 74/2002 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारीएवं राजस्व अधिकारी कोटा का निर्णय 22.08.2003 को इस निर्देश के साथ प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि उक्त उनकवान मुकदमें की सुनवाई कर पुनः निर्णय देवें कृप्या उसमें सुनवाई की तारीख भी भू प्रबन्ध अधिकारी मोहदय कोटा द्वारा 25.09.2003 नियत की थी आपके द्वारा दिये गये निर्णय की छाया प्रतिलिपी।

सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 20.10.2020 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी उपस्थित ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पत्रांक 967 दिनांक 16.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक 732 दिनांक 20.08.2020 को प्रेषित कर रेकार्ड का अवलोकन करने हेतु सूचित किया गया था, किन्तु इनके द्वारा वांछित रेकार्ड का अवलोकन नही करने से सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है। अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से उक्तानुसार चाही गई सूचना भिजवाई जा रही है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई है वह सूचना उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 965 दिनांक 16.10.2020 से उपलब्ध कराई जा चुकी है। यंहा हम स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी का कार्य सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना नही है, लोक सूचना अधिकारी केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। अपीलान्ट दौराने सुनवाई आज न्यायालय हाजा में भी उपस्थित नही हुए है इससे यह भी स्पष्ट कि अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः पत्रावली की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(निकया गोहाएन)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

कमांकः 208-10/रीडर/20
दिनांक

प्रतिलिपी:-

01.लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर,झालावाड़/उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़
02. गौतमराज आ0 ज्ञानचन्द जैन निवासी बकानी जिला झालावाड

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड